प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–1/शा0/121/2010–1/25/2010, लखनऊ :: दिनॉक 19 अक्टूबर, 2010
विषयः–केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुदान–83 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के शासनादेश संख्या–805/26–ब0प्र0–2010–100(6)/2010, दिनॉक 05–10–2010 के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–4410.00 लाख (रूपया–चौवालिस करोड़ दस लाख मात्र) में से धनराशि रू0–1102.00 (रूपया–ग्यारह करोड़ दो लाख मात्र) संलग्न सूची में उल्लिखित जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को जिला पंचायती राज अधिकारियों के निस्तारण पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–951/दस–2010–231/2010, दिनॉक 26–03–2010 तथा शासनादेश संख्या–329/26/ब0प्र0–2010–100(6)/2010 दिनांक 19 अप्रैल 2010 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/ जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सीयल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो ,उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परिक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

6– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

7– **जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।**

8– उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03–ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयो का निर्माण –27– सब्सिडी" के नामें डाला जायगा।

9— शासकीय व्यय में मितव्यता नितान्त आवश्यक है । अतः व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त वित्त संशाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0—सीए—934 / दस—2008—मित—1 / 2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रुप से पालन किया जायेगा।

10— किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, बाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11— आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सूनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नही की जाएगी।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायगा।

13— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्यवन हेतु समय—समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

14— प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—13 पर अंकित है।

संलग्न—उक्तवत्।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः—1 / शा0 / 121 / 2010, तददिनॉक.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,लेखा ऑडिट(प्रथम)उ0प्र0,इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव पंचायतीराज,उ0प्र0शासन।
3— समस्त जिलाधिकारी ।
4— समस्त वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0।
5— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0)उ0प्र0।
6— उपनिदेशक (पं0) (प्रथम) पचायतीराज,निदेशालय उ0प्र0।
7— विशेष सचिव वित्त ((व्यय—नियंत्रण) अनु0—3 / वित्त बजट अनु0—2 उ0प्र0शासन।
8— विशेष सचिव समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ उ0प्र0शासन।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Letter TSC PLAN 21-04-2010 Sp.In.

पत्र संख्या–1/शा0/121/2010–1/25/2010 दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 का संलग्नक
पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश।
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में बी0पी0एल0 परिवारों के लिए
विशेष प्रोत्साहन की धनराशि का आवंटन

आनुदान संख्या–83

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू0–2340/– प्रति शौचालय)	शासनादेश संख्या–329/26व0प्र0–2010–100(6)/2010 दि0 19 अप्रैल, 2010 द्वारा आवंटित धनराशि	शेष वित्तीय आवश्यकता (4–5)	आवंटित धनराशि	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5		6	7
1	मेरठ	284	6.65	5.70	0.95	0.73	6.43
2	बागपत	338	7.91	3.85	4.06	3.11	6.96
3	गाजियाबाद	711	16.64	3.08	13.56	10.39	13.47
4	गौतमबुद्धनगर	669	15.65	3.58	12.07	9.25	12.83
5	बुलन्दशहर	538	12.59	2.16	10.43	7.99	10.15
6	सहारनपुर	302	7.07	6.21	0.86	0.66	6.87
7	मुजफ्फरनगर	1276	29.86	4.74	25.12	19.25	23.99
8	आगरा	1170	27.38	5.69	21.69	16.62	22.31
9	अलीगढ़	122	2.85	5.67	0.00	0.00	5.67
10	हाथरस	216	5.05	3.40	1.65	1.26	4.66
11	एटा	1048	24.52	1.48	23.04	17.66	19.14
12	मैनपुरी	1726	40.39	6.01	34.38	26.35	32.36
13	मथुरा	1016	23.77	3.99	19.78	15.16	19.15
14	फिरोजाबाद	219	5.12	3.21	1.91	1.46	4.67
15	कांशीरामनगर	1344	31.45	4.97	26.48	20.29	25.26
16	बरेली	852	19.94	7.90	12.04	9.23	17.13
17	बदायू	652	15.26	5.30	9.96	7.63	12.93
18	पीलीभीत	445	10.41	10.31	0.10	0.08	10.39
19	शाहजहापुर	1321	30.91	16.20	14.71	11.27	27.47
20	मुरादाबाद	786	18.39	11.73	6.66	5.10	16.83
21	ज्योतिबाफूलेनगर	3488	81.62	14.39	67.23	51.53	65.92
22	रामपुर	722	16.89	14.90	1.99	1.53	16.43
23	बिजनौर	2319	54.26	18.57	35.69	27.35	45.92
24	लखनऊ	5725	133.97	38.47	95.50	73.19	111.66
25	रायबरेली	1567	36.67	15.10	21.57	16.53	31.63
26	हरदोई	7512	175.78	128.08	47.70	36.56	164.64
27	उन्नाव	3180	74.41	41.99	32.42	24.85	66.84
28	सीतापुर	6188	144.80	92.69	52.11	39.94	132.63
29	खीरी	2936	68.70	15.71	52.99	40.61	56.32
30	फैजाबाद	2537	59.37	9.80	49.57	37.99	47.79
31	अम्बेडकर नगर	518	12.12	11.39	0.73	0.56	11.95
32	सुल्तानपुर	755	17.67	12.93	4.74	3.63	16.56
33	बाराबंकी	3130	73.24	38.16	35.08	26.89	65.05
34	गोण्डा	1134	26.54	9.61	16.93	12.98	22.59
35	बलरामपुर	710	16.61	3.78	12.83	9.83	13.61
36	बहराइच	2029	47.48	16.18	31.30	23.99	40.17

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू0–2340/– प्रति शौचालय)	शासनादेश संख्या–329/26व0प्र0–2010–100(6)/2010 दि0 19 अप्रैल, 2010 द्वारा आवंटित धनराशि	शेष वित्तीय आवश्यकता (4–5)	आवंटित धनराशि	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5		6	7
37	श्रावस्ती	2242	52.46	6.72	45.74	35.06	41.78
38	इलाहाबाद	1634	38.24	14.24	24.00	18.39	32.63
39	कौशाम्बी	668	15.63	12.08	3.55	2.72	14.80
40	फतेहपुर	236	5.52	7.11	0	0	7.11
41	प्रतापगढ़	312	7.3	5.27	2.03	1.56	6.83
42	वाराणसी	365	8.54	2.76	5.78	4.43	7.19
43	चन्दौली	1008	23.59	6.87	16.72	12.81	19.68
44	गाजीपुर	1427	33.39	10.05	23.34	17.89	27.94
45	जौनपुर	1573	36.81	29.71	7.10	5.44	35.15
46	मिर्जापुर	4399	102.94	47.95	54.99	42.14	90.09
47	सोनभद्र	6028	141.06	128.84	12.22	9.37	138.21
48	संतरविदासनगर	785	18.37	2.62	15.75	12.07	14.69
49	हमीरपुर	1700	39.78	9.50	30.28	23.21	32.71
50	बांदा	2349	54.97	14.90	40.07	30.71	45.61
51	चित्रकूट	2784	65.15	10.38	54.77	41.98	52.36
52	महोबा	616	14.41	5.90	8.51	6.52	12.42
53	गोरखपुर	756	17.69	16.74	0.95	0.73	17.47
54	महाराज गंज	1914	44.79	9.06	35.73	27.38	36.44
55	देवरिया	681	15.94	3.99	11.95	9.16	13.15
56	कुशीनगर	1535	35.92	9.24	26.68	20.45	29.69
57	बस्ती	520	12.17	7.18	4.99	3.82	11.00
58	सन्त कबीर न0	2527	59.13	8.04	51.09	39.16	47.20
59	सिद्धार्थ नगर	616	14.41	4.73	9.68	7.42	12.15
60	आजमगढ़	1775	41.54	40.30	1.24	0.95	41.25
61	मऊ	600	14.04	17.68	0.00	0.00	17.68
62	बलिया	469	10.97	8.08	2.89	2.21	10.29
63	कानपुर नगर	531	12.43	7.18	5.25	4.02	11.20
64	कानपुर देहात	2726	63.78	12.90	50.88	39.00	51.90
65	फर्रूखाबाद	953	22.30	7.11	15.19	11.64	18.75
66	कन्नौज	270	6.32	3.33	2.99	2.29	5.62
67	इटावा	1033	24.17	11.77	12.40	9.50	21.27
68	औरैया	1112	26.02	11.98	14.04	10.77	22.75
69	झांसी	596	13.95	2.69	11.26	8.63	11.32
70	ललितपुर	1598	37.38	4.10	33.28	25.52	29.62
71	जालौन	396	9.27	4.57	4.70	3.60	8.17
	योग	108219	2532.32	1102.50	1437.87	1102.00	

(रू0 ग्यारह करोड़ दो लाख मात्र)

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उ0प्र0

83 Benifiesery TSC Allot.

250/

संख्या– 805/26–ब0प्र0–2010–100(6)/2010

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ दिनांक : 05 अक्टूबर 2010

विषयः केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या–5/शा/487/2010–5/50/2010, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/10, दिनांक 26–3–2010 तथा शासनादेश संख्या–329/26–ब0प्र0–2010–100(6)/2010, दिनांक 19 अप्रैल, 2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0–4410.00 लाख में उक्त शासनादेश दिनांक 19.04.2010 द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0–1102.50 लाख के अतिरिक्त रु0 1102.00 लाख (रु0 ग्यारह करोड़ दो लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/10, दिनांक 26–3–2010 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्राशं प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

(5) इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(6) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग

निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

(7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना– 03–ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण–27–सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(11) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

2– आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–1789/दस–2010 दिनांक 29.09.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5– एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त (बजट) अनु0–2।
7– कम्पयूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या-85 /26-ब0प्र0-2010-100(6)/2010, दिनांक 05-10-10 का संलग्नक

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2010-11 में वर्ष 2010-11 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में बी0पी0एल0 परिवारों के लिए विशेष प्रोत्साहन की धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू. 2340/-प्रति शौचालय)	शासनादेश संख्या: 329/26-ब0प्र0-2010-100(6)/2010 दि0 19 अप्रैल, 2010 द्वारा आवंटित धनराशि	शेष वित्तीय आवश्यकता (4-5)	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	284	6.65	5.70	0.95	0.73
2	बागपत	338	7.91	3.85	4.06	3.11
3	गाजियाबाद	711	16.64	3.08	13.56	10.39
4	गौतमबुद्धनगर	669	15.65	3.58	12.07	9.25
5	बुलन्दशहर	538	12.59	2.16	10.43	7.99
6	सहारनपुर	302	7.07	6.21	0.86	0.66
7	मुजफ्फरनगर	1276	29.86	4.74	25.12	19.25
8	आगरा	1170	27.38	5.69	21.69	16.62
9	अलीगढ़	122	2.85	5.67	0.00	0.00
10	हाथरस	216	5.05	3.40	1.65	1.26
11	एटा	1048	24.52	1.48	23.04	17.66
12	मैनपुरी	1726	40.39	6.01	34.38	26.35
13	मथुरा	1016	23.77	3.99	19.78	15.16
14	फिरोजाबाद	219	5.12	3.21	1.91	1.46
15	कांशीरामनगर	1344	31.45	4.97	26.48	20.29
16	बरेली	852	19.94	7.90	12.04	9.23
17	बदायूँ	652	15.26	5.30	9.96	7.63
18	पीलीभीत	445	10.41	10.31	0.10	0.08
19	शाहजहाँपुर	1321	30.91	16.20	14.71	11.27
20	मुरादाबाद	786	18.39	11.73	6.66	5.10
21	जे0पी0 नगर	3488	81.62	14.39	67.23	51.53
22	रामपुर	722	16.89	14.90	1.99	1.53
23	बिजनौर	2319	54.26	18.57	35.69	27.35
24	लखनऊ	5725	133.97	38.47	95.50	73.19
25	रायबरेली	1567	36.67	15.10	21.57	16.53
26	हरदोई	7512	175.78	128.08	47.70	36.56
27	उन्नाव	3180	74.41	41.99	32.42	24.85
28	सीतापुर	6188	144.80	92.69	52.11	39.94
29	लखीमपुर खीरी	2936	68.70	15.71	52.99	40.61
30	फैजाबाद	2537	59.37	9.80	49.57	37.99
31	अम्बेडकर नगर	518	12.12	11.39	0.73	0.56
32	सुल्तानपुर	755	17.67	12.93	4.74	3.63
33	बाराबंकी	3130	73.24	38.16	35.08	26.89
34	गोण्डा	1134	26.54	9.61	16.93	12.98
35	बलरामपुर	710	16.61	3.78	12.83	9.83

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू. 2340/-प्रति शौचालय)	शासनादेश संख्याः 329/26-ब0प्र0-2010-100(6)/2010 दि0 19 अप्रैल, 2010 द्वारा आवंटित धनराशि	शेष वित्तीय आवश्यकता (4-5)	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
36	बहराइच	2029	47.48	16.18	31.30	23.99
37	श्रावस्ती	2242	52.46	6.72	45.74	35.06
38	इलाहाबाद	1634	38.24	14.24	24.00	18.39
39	कौशाम्बी	668	15.63	12.08	3.55	2.72
40	फतेहपुर	236	5.52	7.11	0.00	0.00
41	प्रतापगढ़	312	7.30	5.27	2.03	1.56
42	वाराणसी	365	8.54	2.76	5.78	4.43
43	चन्दौली	1008	23.59	6.87	16.72	12.81
44	गाजीपुर	1427	33.39	10.05	23.34	17.89
45	जौनपुर	1573	36.81	29.71	7.10	5.44
46	मिर्जापुर	4399	102.94	47.95	54.99	42.14
47	सोनभद्र	6028	141.06	128.84	12.22	9.37
48	संतरविदासनगर	785	18.37	2.62	15.75	12.07
49	हमीरपुर	1700	39.78	9.50	30.28	23.21
50	बांदा	2349	54.97	14.90	40.07	30.71
51	चित्रकूट	2784	65.15	10.38	54.77	41.98
52	महोबा	616	14.41	5.90	8.51	6.52
53	गोरखपुर	756	17.69	16.74	0.95	0.73
54	महाराजगंज	1914	44.79	9.06	35.73	27.38
55	देवरिया	681	15.94	3.99	11.95	9.16
56	कुशीनगर	1535	35.92	9.24	26.68	20.45
57	बस्ती	520	12.17	7.18	4.99	3.82
58	संतकबीर नगर	2527	59.13	8.04	51.09	39.16
59	सिद्धार्थनगर	616	14.41	4.73	9.68	7.42
60	आजमगढ़	1775	41.54	40.30	1.24	0.95
61	मऊ	600	14.04	17.68	0.00	0.00
62	बलिया	469	10.97	8.08	2.89	2.21
63	कानपुर नगर	531	12.43	7.18	5.25	4.02
64	कानपुर देहात	2726	63.78	12.90	50.88	39.00
65	फर्रूखाबाद	953	22.30	7.11	15.19	11.64
66	कन्नौज	270	6.32	3.33	2.99	2.29
67	इटावा	1033	24.17	11.77	12.40	9.50
68	औरैया	1112	26.02	11.98	14.04	10.77
69	झांसी	596	13.95	2.69	11.26	8.63
70	ललितपुर	1598	37.38	4.10	33.28	25.52
71	जालौन	396	9.27	4.57	4.70	3.60
	कुल योग-	108219	2532.32	1102.50	1437.87	1102.00

(उमा शंकर सिंह)
अनुसचिव।